

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(16)न्याय/2022

जयपुर, दिनांक

:: आज्ञा ::



राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति की अभिशंसा के आधार पर कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2023 की भर्ती में आरक्षित सूची से चयनित अभ्यर्थियों को निम्न अधिसूचनाओं में अंकित प्रावधानों के अनुसार कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(5)डीओपी/ए-2/17 दिनांक 15.05.2018 के अधीन अस्थायी रूप से एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचनाएं:-

- एफ.12(6)एफ.डी./रुल्स/05/ दिनांक 13.03.2006
- एफ.16(2)एफ.डी./रुल्स/98/ दिनांक 13.03.2006
- एफ.13(1)एफ.डी./रुल्स/03/ दिनांक 13.03.2006
- एफ.6(6)एफ.डी./रुल्स/05/ दिनांक 13.03.2006
- एफ.16(5)एफ.डी./रुल्स/98/ दिनांक 13.03.2006
- एफ.1(2)एफ.डी./रुल्स/06/ दिनांक 13.03.2006
- एफ.15(1)एफ.डी./रुल्स/17/ दिनांक 30.10.2017

तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचनाएं:-

- प.7(2)कार्मिक/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2006
- प.7(3)कार्मिक/क-2/2006 दिनांक 30.06.2006

S. No.	Merit No.	Roll No.	Category	Name (Mr./Smt./Miss)	Birth Date	Photo
1.	R-2	2062024	GE,WE	PRIYANKA PUROHIT	15.05.1991	
2.	R-3	2064233	GE	NARENDRA SINGH	08.09.1999	

उक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

- अभ्यर्थी को पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक से 21 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 21 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को तुरन्त प्रभाव से भिजवाएंगे। कार्यभार नहीं

सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

2. परीक्षाधीन अवधि में अभ्यर्थियों का आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा अन्य प्रशासनिक कारणवश अभ्यर्थी की राजकीय सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
3. इनकी वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम में रहेगी।
4. यह नियुक्ति सेवा नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन होगी। इन परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, F.14(1)FD/RULES/2013PT दिनांक 08.06.2015 एवं एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/17/ दिनांक 30.10.2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक देय होगा। कनिष्ठ विधि अधिकारी का पे-बैंड नं.-2 9300-34800 ग्रेड पे नं.-11 - 3600 LEVEL-10 के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई है, जो परीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने पर नियमित वेतनमान देय होगा।
5. कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
6. पूर्वाचरण की जांच एवं चरित्र से संबंधित भविष्य में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/सूचना प्राप्त हुई तो इनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेंगी।

उक्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जा रहे हैं।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
5. संबंधित विभाग।
6. संबंधित कनिष्ठ विधि अधिकारी।
7. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by ANKIT RAMAN
<ankitraman.ar@gmail.com>

Digitally Signed by ANKIT
RAMAN
Designation: Joint Secretary
Date :16-12-2024 05:46:26